परिशिष्ट -1 ता०प्र०क्र० 402 5

PO DUDA

मध्यप्रदेश शासन,
1. Guard file नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
"मंत्रालय"
2. Circulate to all SDMs-

क्रमांक– 2002 / 2015 ~~/ 18-3~~ भोपाल, दिनांक 3/12/15

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः– मध्यप्रदेश, नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक–एफ–1–6/2013/18–3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013।

––00––

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व मे नही रखता हो, को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि परिपत्र में दी गयी समय–सीमा में कतिपय नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय नहीं हो पाया है।

2. संदर्भित परिपत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की संशोधित समय सारणी जारी किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया हैं, जिससे नगरीय क्षेत्र के छूटे हुये पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय किया जा सके। संशोधित समय सारणी निम्नानुसार है :–

2.1 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण की समय सारणी :

(1)	सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि	–	01 जनवरी, 2016
(2)	सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि	–	31 जनवरी, 2016
(3)	प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	–	05 फरवरी, 2016
(4)	अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	–	20 फरवरी, 2016
(5)	सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि	–	25 फरवरी, 2016

2.2 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु पट्टा वितरण की समय–सारणी :

(1)	व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित बस्तियों की पहचान ऐसे व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन एवं संबंधित औपचारिकताओं की पूर्ति	–	20 फरवरी, 2016

अनुभाग अधिकारी

6

(2) चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण – 25 फरवरी, 2016
(3) पट्टों के वितरण की कार्यवाही प्रारंभ करना – 25 फरवरी, 2016
(4) पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करना – 31 मार्च, 2016
(5) वितरित किये गये पट्टों की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करना – 05 अप्रैल, 2016

31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण संबंधी अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के संदर्भित परिपत्र कमांक–एफ–1–6/2013/18–3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के अनुसार रहेंगे। (परिपत्र की प्रति संलग्न है)

3. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अन्तर्गत प्रावधानित समय सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को संशोधित करके दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 किये जाने पर विचार किया जा रहा है तथा नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत शहरों को झुग्गी मुक्त किये जाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में हितग्राहियों की पात्रता के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण के साथ–साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति, जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व मे नही रखता हो, को आवासीय पट्टों को प्रदान किये जाने हेतु सर्वेक्षण किया जाये। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण के साथ–साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में हितग्राहियों के सर्वेक्षण की कार्यवाही हेतु समय सारणी निम्नानुसार है :–

3.1 <u>31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण की समय सारणी</u> :

(1) सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि – 01 अप्रैल, 2016
(2) सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि – 30 अप्रैल, 2016
(3) प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन – 05 मई, 2016
(4) अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन – 20 मई, 2016
(5) सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि – 25 मई, 2016

दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों के आवासीय पट्टा वितरण के लिये समय सारणी पृथक से प्रेषित की जायेगी।

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शहरी भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार संपन्न की जाने वाली कार्यवाही का समुचित प्रसार–प्रचार भी किया जाये।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(विवेक अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृष्ठ. कमांक- 2003 / 2015 / 18-3 भोपाल, दिनांक 30-1-2015

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
9. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग